न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 229 / 2025
दायर दिनांक :– 31.07.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 404
निर्णय दिनांक :– 05.12.2025

1. हजारीराम पुत्र हरलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. जुगताराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
2. हनुमानराम पुत्र जुगताराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
3. गोपालाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
4. जुगताराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मोहनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. रामकिशन पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. सुगनी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. सेमी पुत्री जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. हुक्माराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. ईमरती पुत्री कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
11. नथूराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
12. बाबुराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
13. मोहनराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
14. हीराराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 121 / 4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला

फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी व भू–नक्शा में तरमीम अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओ के बाडे इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूनि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक 2025/49534/19 दिनांक 05.06.2025 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2025 को मौके पर जाकर प्रार्थी एवं अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में खसरा नम्बर 121/1 (पूर्व में हो रखी पत्थरगढी) व खसरा नम्बर 72 किस्म गै.मु. को मुस्तकिल बिन्दू मानकर उक्त भूमि की पैमाईश की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाकर फर्द पर हस्ताक्षर करवाकर पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। दिनांक 10.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की उक्त खसरा की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्ह अनुसार प्रार्थी द्वारा आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व अपने उक्त खसरा की सीमा पर फसल, घास आदि की सुरक्षा के लिये खूंटे रोपकर बाड़ा, तारबन्दी इत्यादि करना भुारू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 14 व्यवधान पैदा कर प्रार्थी को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर रोप कर तारबन्दी, जाली न कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 10.06.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि के पड़ोसी खातेदारान की वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी की हद में दिनांक 10.06.2025 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 15 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 15 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 10.06.2025 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 की और से कोई

Satya..

उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 10.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 10.06.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 121/4 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 10.06.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Satya...

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)